

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/6521 /

जबलपुर, दिनांक 19/11/18

II-14-103/12

श्री संतोष कुमार तिवारी, शीघ्रलेखक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ—
इंदौर को दिनांक 23.07.18 से 22.09.18 तक 62 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
किया जाता है।

सही

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/6522 /

जबलपुर, दिनांक 19/11/18

II-14-103/12

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ—इंदौर की ओर उनके Memo No. Leave/2094 Indore, Dated 11/10/18 के संदर्भ में श्री संतोष कुमार तिवारी, शीघ्रलेखक का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

US Dubey 16/11/2018

(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम—पी.पी.एस.
